न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, I.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 244ए/11 (वाद)

1. श्रीमती गंगा पुत्री वेणा पत्नी जगदीश जाट निवासी भानसोल हाल गुंजोल तह. नाथद्वारा।

.....वादीयां

बनाम्

1. श्री वेणा पिता खेमा जाट निवासी भानसोल तह. मावली।
2. श्रीमती मांगीबाई पत्नी तेजा गाडरी निवासी गढवाडा तह. मावली।
3. श्रीमती रामीबाई पत्नी वेणा जाट निवासी भानसोल तह. मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
5. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय मावली तह. मावली।
6. पटवारी, पटवार हल्का भानसोल तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री चन्द्रपुरी गोस्वामी, अधिवक्ता वादीयां।
2. श्री भंवरलाल ओस्तवाल, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2

सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर (राज.) सत्यमेव जयते

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय ::

दिनांक 31.01.2020

1. वादीयां द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भानसोल पटवार हल्का भानसोल की आराजी नम्बर 966, 1127, 2581/376, 2583/588, 2588/964 किता 5 रकबा 17 बीघा 5 बिस्वा उक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर अंकित हैं।
2. यह कि मुझ वादीयां एवं प्रतिवादी सं. 1, 2 का सजरा खानदान निम्न प्रकार है

नवला (फौत)
↓
खेमा (फौत)
↓
वेणा (पुत्र)
प्रतिवादी सं. 1
↓

गंगा (पुत्री) वादीयां — रामीबाई (पत्नी) प्रतिवादी सं.3

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Scanned with CamScanner

उक्त सजरे अनुसार नवला हमारे मूल पुरूष थे जिनके एक पुत्र खेमा हुआ और खेमा जी के एक पुत्र वेणा पैदा हुआ और वेणा जी के मैं एक पुत्र वादीयां गंगाबाई हुई है व पत्नी रामीबाई प्रतिवादी सं. 3 हैं।

3. यह कि वाद में वर्णित आराजीयात मुझ वादीयां व प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक सम्पति है और जिसमें मुझ वादीयां को जन्म से हक अधिकार प्राप्त हो चुका है और उक्त भूमियों में अपने पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज भूमियों में 1/2 हिस्सा भूमि पर मैं वादीयां अपने हिस्सानुसार भूमियों पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रही हूं।

4. यह कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात जो मुझ वादीयां की पैतृक सम्पति है जो वर्तमान में मुझ वादीयां के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर दर्ज है लेकिन उक्त प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में मैं वादीयां अपने 1/2 हिस्सा भूमि पर काबिज हो काश्त कर रही हुं।

5. यह कि वाद पत्र में वर्णित भूमि मुझ वादीयां का अपने हिस्सेनुसार कब्जा चला आ रहा है व प्रतिवादी सं. 1 भी अपने हिस्सा भूमि पर काबिज है अर्थात् प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में मैं वादीयां व प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक उक्त भूमि के 1/2, 1/2 हिस्सा भूमि पर काबिज हो काश्त करते आ रहे हैं। जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व अधिकार नहीं है लेकिन वर्तमान में उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर दर्ज है जिसका नाजायज फायदा उठा मुझ वादीयां को अपने हिस्से की भूमि से वंचित करने की नियत से वाद पत्र में वर्णित आराजीयात में से आराजी नम्बर 2581/376 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा भूमि सम्पूर्ण अपनी बताते हुए प्रतिवादी सं. 2 के नाम पर अंकित हो गई। जबकि प्रतिवादी सं. 1 को उक्त भूमि में अपने हिस्से से अधिक भूमि को विक्रय करने का कोई हक व अधिकार नहीं है और न ही प्रतिवादी सं. 1 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार है और प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा किया गया विक्रय मुझ वादीयां के मुकाबले बेअसर शून्य व निष्प्रभावी है तथा प्रतिवादी सं. 1 ने प्रतिवादी सं. 2 को वाद वर्णित आराजीयात में नुमाईशी विक्रय पत्र से विक्रय की गई भूमि का कब्जा प्रतिवादी सं. 2 को नहीं दिया है क्योंकि मौके पर प्रतिवादी सं. 1 अपने नाम दर्ज हिस्से की भूमि में अपने हिस्से से अधिक अर्थात् 1/2 हिस्से से अधिक भूमि पर काबिज ही नहीं है तो अपने 1/2 हिस्से से अधिक भूमि का कब्जा प्रतिवादी सं. 2 को देने का प्रश्न ही नहीं

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Scanned with CamScanner

उठता हैं और न ही अपने नाम दर्ज भूमि में से 1/2 हिस्से से अधिक भूमि को हस्तान्तरित करने का अधिकार ही हैं। इसलिए मैं वादीयां वाद पत्र में वर्णित पैतृक कृषि भूमि में अपने नाम 1/2 हिस्सा भूमि की घोषणा करा राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने की अधिकारी हैं। इसलिए यह वाद पत्र प्रस्तुत हैं।

6. यह कि मुझ वादीयां का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि वाद में वर्णित कृषि भूमि है जिसमें मुझ वादीयां को जन्म से ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् अधिकार प्राप्त हो गया है लेकिन उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर दर्ज है जिसका नाजायज फायदा उठा प्रतिवादी सं. 1 ने प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में नुमाईशी विक्रय पत्र सम्पादित कर भूमि विक्रय कर दी है और मुझ वादीयां को मेरी पैतृक कृषि भूमि से वंचित करने पर आमादा हैं और मुझ वादीयां को मेरी पैतृक कृषि भूमि से वंचित करने पर आमादा है और प्रतिवादी सं. 2 ने दिनांक 14.07.2011 को मौके पर आकर मुझ वादीयां को धमकी दी कि उक्त भूमि मुझे विक्रय करा दी है जिससे तुम इस जमीन से अपना कब्जा हटा लेना वरना जबरन ताकत के बल पर तुम्हारा कब्जा हटा देगे। इसलिए मैं वादीयां प्रतिवादी सं. 1, 2 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं कि प्रतिवादी सं. 1, 2 मुझ वादीयां को अपने हिस्से भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, अन्य को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावे। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से वादीयां को भारी क्षति होगी और उसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी वादीयां के पक्ष में हैं।

7. यह कि वादीयां को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 14.07.2011 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने मौके पर आकर मुझ वादीयां को बेदखल उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। करने की धमकी दी। तब

8. अतः प्रार्थना है कि वादीयां के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वाद में वर्णित आराजीयात जो मुझ वादीयां की पैतृक सम्पति है उक्त भूमि में प्रतिवादी सं. 1, 2 के नाम दर्ज भूमि में से मुझ वादीयां को 1/2 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इसी अनुसार मुझ वादीयां का नाम राजस्व रेकार्ड राजस्व रेकार्ड खेवट

सहायक कलक्टर
(SDO) भावली

Scanned with CamScanner

खतौनी जमाबन्दी में अंकन कराया जावे एवं प्रतिवादी सं. 1, 2 के नाम हटाये जावे। मुझ वादीयां के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी सं. 1, 2 वाद पत्र में वर्णित आराजीयात में वादीयां को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, वादीयां को बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावे, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथावत् स्थिति बनाये रखे। प्रतिवादी सं. 1, 2 उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन कराने हेतु प्रस्तुत करे तो ताफैसला वाद प्रतिवादी सं. 4 पंजीयन नहीं करे व प्रतिवादी सं. 5 ताफैसला वाद राजस्व रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखें।

9. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी सं. 3 द्वारा नियत समय में जवाब पेश नहीं करने पर जवाब दावा का अवसर बन्द किया गया। प्रतिवादी सं. 4 से 6 राजपेरोकार औपचारिक पक्षकार होने से जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में साक्ष्य वादीयां प्रारम्भ की गई।
10. प्रकरण में वादीयां द्वारा साक्ष्य वादीयां के रूप में पीडब्ल्यू–1 श्रीमती गंगा, पीडब्ल्यू–2 श्री कन्हैयालाल के शपथ पत्र पेश किये।
11. वादीयां द्वारा वाद के समर्थन में दस्तावेज नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1, पुरानी जमाबन्दी प्रदर्श 2 प्रस्तुत किया।
12. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीयां द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादीयां का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2 द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय की हैं। इसलिए वादीयां प्रतिवादी सं. 2 से कोई दाद प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं हैं। वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया।
13. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम पर दर्ज है। वादग्रस्त भूमि वादीयां की

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

पैतृक सम्पति होना बताया हैं, जो कि वादीयां के पिता प्रतिवादी सं. 1 वेणा को उनके पिता से मिली हैं। इस सम्बन्ध में वादीयां द्वारा दस्तावेज प्रदर्श 2 भू. प्रबन्ध सेटलमेन्ट विभाग की नकल प्रस्तुत की, जिसमें वादग्रस्त भूमि खेमा पिता नवला जाट के नाम पर दर्ज होना जाहिर हैं। इससे स्पष्ट है कि वादीयां के पिता वेणा को उक्त भूमि विरासत से प्राप्त हुई हैं। भूमि पैतृक होने से वादीयां को जन्म से अधिकार हैं।

14. वादग्रस्त भूमि में आराजी नम्बर 2581/376 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा भूमि को प्रतिवादी सं. 1 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रतिवादी सं. 2 को विक्रय कर दी, जिसका नामान्तरकरण सं. 1083 दिनांक 25.09.2006 को पारित होकर भूमि प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज हुई। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम पर दर्ज हैं। प्रतिवादी सं. 1 वेणा वादीयां का पिता होकर वर्तमान में जीवित हैं। वादग्रस्त भूमि पैतृक होना साबित हैं, प्रतिवादी सं. 1 के अन्य कोई सन्तान नहीं होने से वादग्रस्त भूमि में वादीयां का 1/2 व प्रतिवादी सं. 1 वेणा का 1/2 हिस्सा बनता हैं।

15. प्रतिवादी सं. 1 वेणा HUF कर्ता खानदान होने से उसे अपनी भूमि का उपयोग उपभोग व जायज जरूरतो के लिए बेचने का पूरा अधिकार हैं, उसी के नाते प्रतिवादी सं. 1 द्वारा आराजी नम्बर 2581/376 को प्रतिवादी सं. 2 को विक्रय की हैं। वादीयां द्वारा अपने पिता के जीवित के रहते भूमि में खातेदारी घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं। वादीयां द्वारा इस सम्बन्ध में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा आराजी नम्बर 2581/376 को विक्रय करने बाबत् विक्रय पत्र या अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया हैं। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त विक्रय प्रतिवादी सं. 1 द्वारा 20 दिसम्बर 2004 से पूर्व किया है अथवा बाद में।

16. इस सम्बन्ध में पिता के जीवित रहते हुए पुत्रीयों को वर्ष 2005 के पश्चात् संशोधन के उपरान्त अधिकार प्रदान किये गये है, जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 अनुसार "उक्त सहदायिकी सम्पति के सम्बन्ध में उन्ही दायित्वों के अध्ययीन होगी, जैसे पुत्र का दायित्व हैं और हिन्दू मिताक्षरा सहदायिक का कोई निदेश सहदायिक की पुत्री के निर्देश को शामिल करने वाना माना जायेगा : परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई चीज सम्पति के किसी विभाजन या वसीयती विन्यास को, जो दिसम्बर, 2004 के 20वें दिन के पूर्व किया गया है, शामिल करके किसी विन्यास या अन्य संक्रमण को प्रभावित

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Scanned with CamScanner

नहीं करेगी या अविधिमान्य नहीं बनायेगी।" अतः पिता के जीवित रहते पुत्री का अधिकार निश्चित कर दिया गया हैं। इसलिए वादीयां पिता के जीवित रहते उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज कराने की अधिकारिणी हैं परन्तु वादग्रस्त भूमि में से आराजी नम्बर 2581/376 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा भूमि का बेचान प्रतिवादी सं. 1 द्वारा कर दिया गया हैं परन्तु वादीयां द्वारा उक्त भूमि का बेचान दिनांक 20.12.2004 के पूर्व अथवा पश्चात् करने का तथ्य साबित नहीं करवाया है जिसके तहत् उक्त आराजी में वादीयां को कोई दाद दिया जाना उचित नहीं हैं। अतः शेष भूमि में ही वादीयां 1/2 हिस्से अनुसार भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की अधिकारिणी हैं। अतः वादीयां का वाद आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीयां का वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा भानसोल पटवार हल्का भानसोल की आराजी नम्बर 966, 1127, 2583/588, 2588/964 किता 4 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा भूमि में से वादीयां को 1/2 एवं प्रतिवादी सं. 1 वेणा को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीयां को उसके हिस्से का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

Akshay

(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर (राज.) सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

उनवान्

1. श्रीमती गंगा पुत्री वेणा पत्नी जगदीश जाट निवासी भानसोल हाल गुंजोल तह. नाथद्वारा।

.....वादीयां

बनाम्

1. श्री वेणा पिता खेमा जाट निवासी भानसोल तह. मावली।
2. श्रीमती मांगीबाई पत्नी तेजा गाडरी निवासी गढवाडा तह. मावली।
3. श्रीमती रामीबाई पत्नी वेणा जाट निवासी भानसोल तह. मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
5. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय मावली तह. मावली।
6. पटवारी, पटवार हल्का भानसोल तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 244A/11 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु अक्षय गोदारा I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीयां का वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा भानसोल पटवार हल्का भानसोल की आराजी नम्बर 966, 1127, 2583/588, 2588/964 किता 4 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा भूमि में से वादीयां को 1/2 एवं प्रतिवादी सं. 1 वेणा को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीयां को उसके हिस्से का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 31.01.2020 को जारी की गई।

(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Scanned with CamScanner